जुलाई माह की राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

जनपद–मिर्जापुर

भ्रमण अवधि– दिनांक 30.07.2019 से 01.08.2019

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य।
2. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन।

जनपद स्तरीय टीम

1. श्री बृजेश कुमार मिश्र , मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, सिफ्सा।
2. श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव , मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0, सिफ्सा।
3. श्री अजय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0।
4. श्री ओंकार सिंह, जिला कम्युनिटी प्रासेस प्रबन्धक, एन0एच0एम0।
5. श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, परिवार नियोजन विशेषज्ञ, टी0एस0यू0।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयॉ

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – चुनार।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – विजयपुरा।
3. उपकेन्द्र – विजयपुरा।
4. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– तरकापुर, मिर्जापुर।
5. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र, ग्राम–बोधिया का पुरा पंचायत भवन, उपकेन्द्र– अधोली, ब्लाक–गुरसण्डी (सिटी)।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय टीम सदस्य प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता–मातृ स्वास्थ्य एवं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन द्वारा दिनांक 30 जुलाई से 01 अगस्त 2019 के मध्य जनपद मिर्जापुर का भ्रमण कर एल–3, एल–2 व एल–1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। भ्रमण के द्वितीय दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ए0आर0ओ0 एवं बैम के साथ समीक्षा/डिब्रीफिगं भी किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–विजयपुरा **सम्पर्क अधिकारी–** श्री अश्वनी श्रीवास्तव, बी0सी0पी0एम0।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
पुरानी बिल्डिंग होने के कारण वार्ड एवं लेवर रुम में अत्यन्त कम स्पेस है एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी दूर स्थित है।	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक ब्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि का अभाव वेटिंग एरिया में देखने को मिला।	मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
नवीन बिल्डिंग निर्माणाधीन है परन्तु विवाद के कारण स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानान्तरित नही किया जा सकता है।	वर्त्तमान स्थिती में यथाशीघ्र विवाद का निस्तारण कर स्वास्थ्य केन्द्र को नवीन बिल्डिंग में स्थानान्तरित किया जाये ।	मुख्य चिकित्साधिकारी
इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। ई0डी0एल0 का प्रदर्शन किया गया था, किन्तु तिथि का अंकन नहीं था।	जनपद स्तर से 5'5 मैट्रिक्स प्राप्त करने तथा अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई0ई0सी0ः–		

परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। जनपद पर टीम द्वारा दिये गये अपडेटेड आई0ई0सी0 को जनपद से प्रेषित करने हेतु डी0सी0पी0एम0 को सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायोमेडिकल वेस्ट–		
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था नहीं थी। बने हुऐ पिट का मुहाना बन्द था। जो क्रियाशील नही होना प्रलक्षित कर रहा था। उपस्थित स्टाफ को भी बेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। अलग रंगों की तीनों डस्टबिन नही पाये गये। शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं था।	बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से प्रबन्धन करने व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
प्रसव कक्ष में कैलिस पैड पन्चर था। डिजिटल क्लाक नहीं लगा था। नवीन केसशीट उपलब्ध नही था।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार ब्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
ऑटोकेलव की स्थिती दर्शा रही थी कि प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नही किया जा रहा है।	प्रसव कक्ष में डिजिटल घड़ी, हाइटोमीटर आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर नही भरा जा रहा था। एम0सी0टी0एस0 नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं के पास पुराना मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड)था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नही है। अतः छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नही दिया जा रहा है। नवीन केसशीट उपलब्ध नहीं था। दिशा–निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नही किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ

जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयपुर चार बेडेड है, परन्तु दो बेड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार 2018–19 तक 1,720 प्रसव के सापेक्ष 1,176 प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई एवं जून 2019 तक 341 प्रसव के सापेक्ष 329 प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई ।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन दिया जा रहा है।	जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बाल स्वास्थ्यः–		
टीका **करण** कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्षित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
नवीन निर्माणाधीन बिल्डिंग में वैकल्पिक व्यवस्था करके महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। मानकानुसार शिविर का आयोजन नही किया गया था।	मानकानुसार शिविर का आयोजन करने व शिविर से पूर्व समस्त तैयारियॉ किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	कण्डोम बाक्स लगाने व प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से नहीं हो रहा है।	सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रयोगशाला–		
प्रयोगशाला में साफ–सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ–सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स नियमित रुप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रिण्टिंग सामग्री–		
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि समस्त प्रपत्र बुकलेट में उपलब्ध थे। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट पूर्ण भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र पर दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	सम्बन्धित स्टाफ
एम्बुलेन्स सेवा		

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीज को ले जा रही एम्बुलेन्स UP 41 G 1016 का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया की एम्बुलेन्स की सभी व्यवस्थाएं (हेडलाईट, ए. सी., दरवाजे, हूटरलाईट) खराब है एवं एम्बुलेन्स जर्जर हालत में है। एम्बुलेन्स में आवश्यक समस्त दवाईयॉ, बी0पी0 मापक यंत्र व अन्य उपकरण एवं ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है।	एम्बुलेन्स में मानकानुसार समस्त ब्यवस्थायें उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
मानव संसाधन		
बी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 की नियुक्ति नही हुई है, इस कारण आवश्यक गतिविधियों के संचालन मे बाधा आ रही हैं।	मानव संसाधन की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाहियॉ करते हुए राज्य को अवगत कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी

संलग्न– चेकलिस्ट।

उपकेन्द्र –विजयपुर **विकास खण्ड– छानबे**

सम्पर्क ए0एन0एम0– श्रीमती रीता, गुंजा कुमारी व सोनम।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
उपकेन्द परिसरः–		
परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नही है। परिसर की रंगाई–पुताई भी नहीं करायी गयी है।	परिसर की साफ–सफाई मेण्टेन रखने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित ए0एन0एम0
परिसर एवं शौचालय में लाईट (विद्युत आपूर्त्ती) नहीं था। शौचालय प्रयोग किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं था।	परिसर एवं शौचालय में लाईट (विद्युत आपूर्त्ती) सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी/ सम्बन्धित ए0एन0एम0
सभी कमरों हेतु पंखो, का अभाव है केवल 01 पंखा है एंव सफाई भी नहीं की जा रही है। इनवर्टर की व्यवस्था नहीं है।	पंखो व इनवर्टर की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारीचिकित्साधिकारी/ सम्बन्धित ए0एन0एम0
आई0ई0सी0ः–		
परिसर ब्लाक मुख्यालय परिसर में स्थापित है। भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
प्रसव कक्षः–		
मानकानुसार उपकेन्द की प्राथमिक आवश्यकता (विद्युत आपूर्त्ति एवं निर्वाद्य जल आपूर्त्ति) की पूर्त्ति न होने के बावजूद प्रसव कराया जा रहा है।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व एस0बी0ए0 प्रोटाकाल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
ए0एन0सी0ः– गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली समस्त सेवाओं की जानकारी ए0एन0एम0 को नहीं थी।	ए0एन0एम0 को जानकारी दी गई व सहायक सामग्रियों का नियमित अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
परिवार नियोजन–		
गर्भनिरोधक साधनों का स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
आई0यू0सी0डी0 उपलब्ध है। संविदा ए0एन0एम0 को जानकारी थी परन्तु नियमित ए0एन0एम0 को जानकारी नहीं था।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर मांग की जाये।	ए0एन0एम0
दवाईयों एवं उपकरणों को बहुत ही अब्यवस्थित तरीके से रखा गया था।	दवाईयों एवं उपकरणों को ब्यवस्थित तरीके से रखते हुए लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
रिकार्ड कीपिंग–		
ए0एन0एम0 द्वारा ए0एन0सी0 रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, वी0एच0एस0एन0सी0रजिस्टर, सास–बहू सम्मेलन रजिस्टर आदि नहीं दिखाया जा सका।	समस्त रिकार्ड मेण्टेन करते हुए उपकेन्द्र पर रखने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
ए0एन0एम0 द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के रिकार्ड नहीं दिखाये जा सके। अवगत कराया गया कि रिकार्ड साथ में नही ंला पायीं।	ए0एन0एम0 द्वारा दी गयी सेवाओं के समस्त रिकार्ड उपकेन्द्र पर रखने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
दवाईयॉ एवं उपकरण		
दवाईयों एवं उपकरणों को बहुत ही अब्यवस्थित तरीके से रखा गया था। काफी	दवाईयों एवं उपकरणों का रिकार्ड में रख–रखाव एवं भौतिक अवलोकन नियमित	ए0एन0एम0

मात्र में अवितरित ओ0आर0एस0 पैकेट एवं तीन पैकेट स्ट्रिप्स एवं लेन्सेट के साथ बिना सिल खुले डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर बोरे में बन्द पाया गया जिसकी जानकारी ए0एन0एम0 को नही थी।	रुप से करते रहने का सुझाव दिया गया।	
इकाई पर कोई भी जॉच नहीं की जा रहीं है।	ए0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध किटों व उपकरणों का प्रयोग करते हुए जॉच करते रहने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
जानकारी का स्तर		
सभी ए0एन0एम0 से प्रश्न पूछे जाने पर उनमें गर्भवती महिला को दी जाने वाली ऑयरन एवं कैल्शियम की डोज व ग्लूकोमीटर एवं डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के प्रयोग की जानकारी का अभाव पाया गया।	स्टाफ को पुनःप्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।	प्रभारीचिकित्साधिकारी

संलग्न– चेकलिस्ट।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– तरकापुर, मिर्जापुर

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर समुदाय के मध्य स्थापित है। सभी कक्ष काफी पुराने व पैथोलाजी हेतु स्थान कम है।	पर्याप्त व्यवस्था किये जाने व यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो पूर्व निर्देशों के दृष्टिगत भवन स्थानान्तरित किये जाने का भी सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/अर्बन कोआर्डिनेटर
आई0ई0सी0ः–		
आई0ई0सी0 उपलब्ध थे। परन्तु समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पर्याप्त नहीं थे।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
ओ0पी0डी0–		
ओ0पी0डी0 में चिकित्सक मौजूद थे। ओ0पी0डी0 रजिस्टर प्रिण्टेड नहीं था।	प्रिण्टेड ओ0पी0डी0 रजिस्टर व समस्त प्रिण्टेड रजिस्टर्स उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
परिवार नियोजन–		
कण्डोम व गर्भनिरोधक गोलियों का वितरण किया जा रहा है, परन्तु वितरण रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की सेवायें नहीं प्रदान की जा रही हैं।	आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक आशाओं के माध्यम से वितरित कराने का सुझाव दिया गया। आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन हेतु स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित कराने का सुझाव दिया गया तथा एच0एच0एफ0पी0पी0टी0 संस्था के पदाधिकारी से आगामी प्रशिक्षण में स्टाफ नर्स का नामांकन मंगाने का सुझाव दिया गया।	अर्बनकोआर्डिनेटर/ सम्बन्धित स्टाफ
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
प्रसव नहीं कराये जा रहे हैं।	प्रेगनेन्सी टेस्ट किट आशाओं के माध्यम से भी उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
बायोमेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में Colour Coded Bins की ब्यवस्था नहीं थी।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की इकाई के मानकानुसार व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया।	अर्बन कोआर्डिनेटर
रिकार्ड कीपिंग		
समस्त बैठकों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।	समस्त बैठकों के रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
हाई रिस्क प्रेगनेन्सी रजिस्टर अलग से उपलब्ध नहीं था।	हाई रिस्क प्रेगनेन्सी रजिस्टर बनवाया गया व नियमित अपडेंट करने का सुझाव दिया गया।	स्टाफ नर्स
फार्मासिस्ट के पास मेन स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	मेन स्टाक रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट

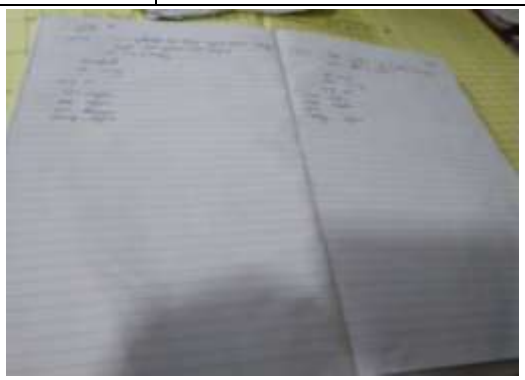

सामुदायिक गतिविधियॉ : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र।

ग्राम– अघोली, स्थान–पंचायत भवन

ब्लाक– गुरसण्डी (सिटी)

सम्पर्क : ए.एन.एम.–श्रीमती साधना कुमारी।

टीम द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र का अवलोकन किया गया। सामुदायिक स्तर की गतिविधियों के आकलन हेतु टीम द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप विभिन्न विधाओं के सेवाप्राप्त 05 लाभार्थियों से सम्पर्क किया गया।

- ए0एन0सी0 चेक अप हेतु स्थान उपलब्ध नहीं था।
- ए.एन.एम. एवं आशा सत्र स्थल पर आयी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही थी।
- वी.एच.एन.डी. हेतु बैनर नहीं लगाया गया था।
- एम0सी0पी0 कार्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरण, एम.सी.टी.एस. नम्बर, आधार, बैंक खाता अधिकांश रुप से नहीं भरे गये थे। विवरण भरें जाने हेतु कहा गया।
- संसाधान विहीनता के कारण वी.एच.एन.डी. सत्र पर कोई भी जॉच नहीं की जा रहीं थी।
- वी.एच.एन.डी. सत्र में जी.डी.एम.(वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ) एवं एच.आई.वी. व सिफलिस (वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ) की जॉच की जानकारी का आभाव पाया गया।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के जॉच का आधार मात्र हीमोग्लोबिन की जॉच ऑख व जिभ देखकर की जॉच तक सीमित था।
- बी0सी0जी0, आई0पी0वी0 व मिजिल्स उपलब्ध नहीं था।

मुख्य चिकित्साअधिकारी कार्यालय में बैठक

बैठक के प्रतिभागी – समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, जिला लेखा प्रबन्धक–एन0एच0एम0, समस्त ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी एवं बी0पी0एम0एवं बी0ए0एम0।

- भ्रमण के दौरन पायी गयी जनपद की यथास्थिति से उप मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- परिवार नियोजन सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में आयी गिरावट को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रत्येक विधा में आ रही गिरावट को दूर करते हुए उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया। चिकित्सालय विजयपुर व सिटी ब्लाक में नसबन्दी सम्बन्धी जटिलताओं की गलत फीडिंग को सही कराने हेतु भी सुझाव दिया गया।
- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार तैयार किये जाने एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।
- जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुर की सफाई, वी.एच.एन.डी. सत्र एवं स्वास्थ्य इकाईयों में जी.डी. एम.एवं एच.आई वी. व सिफलिस की जॉच के प्रति उदाशीनता एवं अन्य कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय

जे0एस0वाई0 भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये। सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।

- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' के सफल संचालन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।
    - किसी भी स्वास्थ्य इकाई में ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत निःशुल्क प्रदान की जानी वाली सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए वाल राइटिंग नही किया गया है एवं हैंडबिल न तो छपवाया गया है न ही वितरित किया गया है।
    - ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत ,जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तथा चिन्हित जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर बैठक भी नही किया गया है।
    - ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है परन्तु जनपद में मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक अभी तक नही बनाया गया है।
    - प्रावाधान के अनुसार''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक–अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को अल्पाहार उपलब्ध नही कराया जा रहा है।
    - ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत 03 पंजीकृत स्वैच्छिक सेवा प्रदाता निजी चिकित्सकों से स्वैच्छिक सेवा लेने की कार्यनिति बनाने को कहा गया। स्वैच्छिक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पोर्टल पर डाटा अपलोड करने एवं यात्रा व्यय का भुगतान तत्काल किये जाने का पुनःअनुरोध किया गया।
    - 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में समस्त 68,700 ए0एन0सी0 के सापेक्ष अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 8,201 (11.94%) एवं अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक 2,337 (3.62%)गर्भवती माहिलाओं को ए0एन0सी की सेवा से आच्छित किया गया है। दूसरी एवं तीसरी तिमाही पर प्रथम बार आने वाली गर्भवती माहिलाओं की संख्या भी बहुत कम (अप्रैल 2019 से मार्च 2019 तक 3,546 एवं अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक 983 है।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए जनपद एवं ब्लाक स्तर पर ठोस कार्यनिती बनाने का अनुरोध किया गया।
- दिशा–निर्देश के अनुसार मातृ मृत्यु समीक्षा एवं उचित तरीके से रिपोर्टिंग किये जाने का अनुरोध किया गया।
- नये मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) पूर्ण रुप से भरे जायें। विशेषकर बैंक खाता, आधार संख्या, एम0सी0टी0एस0, मोबाईल नम्बर व ए0एन0सी0 जॉच की प्रविष्टि अवश्य की जाए।
- एच0आर0पी0 इंसेंटिव का ससमय भुगतान आशा एवं ए0एन0एम0 किये जाने का अनुरोध किया गया।
- भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं को 500 मिलीग्राम कैल्शियम की 02 गोली प्रतिदिन दी जानी है प्रत्येक कैल्शियम की गोली में 500 मिली ग्राम एलीमेन्टल कैल्शियम एवं 250 IU विटामिन डी–3 की आवश्कता है परन्तु जनपद में कैल्शियम लैक्टेट 300 मिली ग्राम का वितरण मई 2018 तक किया जा रहा था। दिशा–निर्देश के अनुसार कैल्शियम का क्रय एवं वितरण कराने का पुनःअनुरोध किया गया।
- बैठक में समस्त ब्लाकों से निम्नवत् बिन्दुओं पर पुनः चर्चा की गयी –
    - दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया।

- एच0एम0आई0एच0, यू0पी0एच0एम0आई0एच0, एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा समय पर प्रविष्ठ किया जाना।
- जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाया जाय।
- जे0एस0वाई0 का भुगतान 48 घण्टे में किया जाना।
- प्रसूता द्वारा प्रसव के 48 धण्टे तक इकाई में ठहरा जाना।

बैठक में उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हेतु भ्रमण में पायी गयी कमियों को जनपद एवं ब्लाक स्तर से तत्काल दूर किये जाने को कहा गया एवं राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्यों को ससमय प्राप्त किये जाने हेतु उप मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय एवं समस्त प्रतिभागियों को अवगत किया गया। उप मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 यूनिट, समस्त ब्लाक चिकित्सा अधीक्षको एवं बी0पी0एम0यू0 यूनिट को स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करते हुए बैठक का समापन किया गया।,

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –चुनार, **सम्पर्क अधिकारी–डा0 अजय, चिकित्सा अधीक्षक।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय के बाहर मुख्य मार्ग पर बोर्ड या साइनेज उपलब्ध नहीं था।	चिकित्सालय के बाहर मुख्य मार्ग पर बोर्ड या साइनेज बनवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
सिटीजन चार्टर डिस्प्ले था। 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। ई0डी0एल0 का अपडेटेड प्रदर्शन किया गया था। हेल्पडेस्क की ब्यवस्था नहीं थीं।	जनपद स्तर से 5'5 मैट्रिक्स प्राप्त करने तथा हेल्पडेस्क की ब्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
स्टोर–		
स्टोर में दवाईयों आदि का रख–रखाव ठीक पाया गया। लेबलिंग की गई थी। रिकार्ड मेण्टेन थे।	अपडेटेड लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। साथ ही स्टाक की नियमित उपलब्धता हेतु बफर स्टाक रखते हुए मॉगपत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	चीफ फार्मासिस्ट
बायोमेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में Bins उपलब्ध थीं। डस्ट बिन	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित	चिकित्सा अधीक्षक

में अलग–अलग रंग की पॉलीथिन थी। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित स्टाफ का ओरिएण्टेशन कराये जाने की जरुरत है।	समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने व Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
लेबर रूमः– लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकाल पोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि मानकानुसार पायी गयी, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी। प्रसव रजिस्टर में कई लाभार्थियों के एम0सी0टी0एस0 सं0 का अंकन नही था। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सो को भी उचित जानकारी नहीं थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकाल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।एच0आर0पी0 रजिस्टर व लाभार्थियों के एम0सी0टी0एस0 सं0 का अंकन करने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रति माह 9 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के अन्तर्गत चिन्हित एच0आर0पी0 महिलाओं की सूचना ब्यवस्थित तरीके से अंकित नहीं की गयी थी।	रिकार्ड कीपिंग को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली समस्त सेवाओं की जानकारी उपस्थित स्टाफ को नहीं थी।	सहायक सामग्रियों का नियमित अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव रजिस्टर में अंकित कम वजन के नवजात शिशु का फालोअप नहीं किया जा रहा है।	नवजात शिशु का फालोअप सम्बन्धित चिकित्सालय व आशा के माध्यम से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ/आशा
बाल स्वास्थ्यः–		
टीका**कर**ण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज क्रियाशील पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। टीकाकरण सम्बन्धी आई0ई0सी0 सामग्री स्टोर से प्राप्त करने व जनपद तथा सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त कर डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
डिस्चार्ज से पहले नवजात बच्चों को बी०सी०जी०, ओ0पी0वी0 एवं हेपेटाइटिस बी की जन्म वाली खुराक दी जा रही थी ।	सभी नवजात शिशुओं को नियमित रुप से बी०सी०जी०, ओ0पी0वी0 एवं हेपेटाइटिस बी की जन्म वाली खुराक दिये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाए।	सम्बन्धित स्टाफ
आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन का प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध था। परन्तु सही प्रकार से भरा नहीं जा रहा था।	आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन का रिकार्ड सही प्रकार से भरे जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	औषधि वितरण कक्ष के बाहर कण्डोम बाक्स लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
छाया गर्भनिरोधक गोली उपलब्ध नहीं था।	छाया गर्भनिरोधक गोली स्टोर से प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः–		
वाहन पर कार्यक्रम का लोगो एवं बैनर नही लगा था। रजिस्टर में सम्पर्क नम्बर दर्ज नहीं थे। समस्त उपकरण उपलब्ध थे।	मानक अनुसार व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित अधिकारी/स्टाफ

संलग्न– चेकलिस्ट।

अखिलेश कुमार श्रीवास्तव कार्यक्रम
समन्वयक, परिवार नियोजन

प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य